

BRIDCUL (ब्रिडकुल)

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड

प्रधान कार्यालय: अवस्थापना भवन, 583-ड, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248001

पत्रांक: 336/ब्रिडकुल/2019


दिनांक: 27 / 02 / 2019

कार्यालय ज्ञाप

निगम प्रबन्धन द्वारा नवीन पंजीकरण की शर्तों आदि में कुछ संशोधन किये गये हैं जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1. निगम में पंजीकृत/पंजीकृत होने वाले ठेकेदारों/फर्मों द्वारा एक या एक से अधिक कैटेगिरी में विधिवत् पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है परन्तु उनके द्वारा समस्त कैटेगिरी हेतु प्रस्तावित शुल्को को जमा किया जाना होगा।
2. निगम में भविष्य में नवीन पद्धति के अनुरूप एक बार पंजीकरण हो जाने अथवा पूर्व पंजीकरण को नवीन पद्धति के अनुरूप एक बार परिवर्तित हो जाने के उपरान्त पंजीकरण का अवरोही क्रम की श्रेणी में परिवर्तित करने हेतु पुनः पूर्णता नवीन शुल्क दिया जाना प्रस्तावित होगा।
3. निगम में वर्तमान में कैटेगिरी -III (upto 2 cr.) के सिविल कार्यों हेतु वर्तमान में पंजीकरण नियमों के अनुरूप पंजीकरण हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल में से कोई भी एक का चयन करना होता है। परन्तु अब उक्त बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है व कैटेगिरी-III (upto 2 cr.) के सिविल कार्यों में पंजीकरण कराने वाले ठेकेदारों/फर्मों को मण्डल चयन की बाध्यता से अन्य कैटेगिरी के अनुसार स्वतन्त्र कर दिया गया है।

अन्य निर्देश एवं पंजीकरण की शर्तें पूर्ववत् रहेगी।


(इं0 राजेन्द्र प्रसाद उनियाल)
महाप्रबन्धक (सिविल)